

an>

Title: Introduction of the Victims of Naxalite Acts of Violence (Relief and Rehabilitation) Bill, 2015.

श्री सुनील कुमार सिंह (वतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में नक्सली हिंसा के कृत्यों में मारे गये नागरिकों के आश्रितों को और ऐसी हिंसा के कारण अपनी संपत्ति, फसलें, मकान इत्यादि खोने वाले नागरिकों को वित्तीय मुआवजा, मासिक भत्ता, राहत और अन्य पुनर्वास उपाय तथा सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संस्त अथवा आनुभांगिक विचारों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce the Bill to provide for the payment of compensation, monthly allowance, relief and other rehabilitation measures and facilities to the dependants of persons killed in naxalite acts of violence and payment of compensation to those who lost their property, crops and houses due to such violence in the country and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.44 ½ hrs